

सं 35011/3/2026-एडी. ईडी
No. 35011/3/2026-Ad.ED
भारत सरकार
Government of India
वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance
राजस्व विभाग
Department of Revenue
(प्रशा. प्रवर्तन निदेशालय अनुभाग)
(Ad.ED Section)

कमरा नंबर 14108, कर्तव्य भवन - I, नई दिल्ली

Kartavya Bhawan-1, New Delhi

07 सितम्बर, 2026

07 September, 2026

रिक्ति परिपत्र

विषय:- प्रवर्तन निदेशालय में सहायक विधिक सलाहकार, प्रवर्तन के पदों को प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर भरे जाने के संबंध में।

प्रवर्तन निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल -11 [₹67,700- 2,08,700] में प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर सहायक विधिक सलाहकार, प्रवर्तन के ग्रेड में नौ (09) रिक्त पदों को भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भविष्य में रिक्तियों की संख्या के सम्बंध में कोई भी परिवर्तन इस परिपत्र के अंतर्गत शामिल माना जाएगा।

2. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के, अधिसूचना दिनांक 24/11/2025 के अधीन जारी किए गए भर्ती नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के ऐसे अधिकारी पात्र हैं जो:

(ए)	
(i)	मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
(ii)	वे अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के पे लेवल 10 (₹56100-177500) अथवा समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूरी की हो; तथा
(बी)	
	जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों:
(i)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विधि में स्नातक अथवा समकक्ष, और
(ii)	अदालत में आपराधिक कानूनों या वित्तीय कानूनों से संबंधित वकालत करने वाले अधिवक्ता के रूप में तीन साल का अनुभव।



	अथवा
(i)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि: और
(ii)	अदालत में आपराधिक कानूनों या वित्तीय कानूनों से संबंधित वकालत करने वाले अधिवक्ता के रूप में एक साल का अनुभव।

3. प्रतिनियुक्ति(अल्प कालिक अनुबंध सहित) की अवधि, उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्र सरकार के विभाग में किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित) की अवधि सहित, सामान्य रूप से चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

6. पद से जुड़े कार्य:

सहायक कानूनी सलाहकार पीएमएलए अपराधियों के खिलाफ अभियोजन दायर करने संबंधी कार्रवाई करेंगे; निदेशालय के कार्यालयों को, यदि अनुरोध किया जाता है तो, फेरा, फेमा, पीएमएलए जैसे कानूनी मामलों पर सलाह देंगे; एटीएफई, विशेष निदेशक (अपील), न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए के तहत गठित) और धन शोधन अधिकरण के समक्ष निदेशालय की ओर से मामलों को प्रस्तुत करेंगे; सरकारी वकील के परामर्श से पैरा-वार टिप्पणियां तैयार करेंगे, और शपथ पत्र/जबाबी शपथ पत्र तैयार करेंगे; न्यायनिर्णयन आदेशों के न्यायनिर्णयन और समीक्षा से संबंधित कार्य करेंगे; निदेशालय के पीएमएलए मैनुअल के तहत निर्धारित कार्यों और प्रवर्तन निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कोई अन्य कार्य भी करेंगे।

7. अन्य नियम और शर्तें:

वेतन और भत्ते तथा अन्य शर्तें समय-समय पर संशोधित/पुनरीक्षित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन II) दिनांक 17 जून, 2010 के अनुसार विनियमित की जाएंगी। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय में सहायक कानूनी सलाहकार के स्तर पर काम करने अधिकारी वर्तमान में मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से विशेष प्रोत्साहन भत्ता पाने के हकदार हैं।

8. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि पात्र और इच्छुक अधिकारियों के आवेदन संलग्न प्रोफार्मा में निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, ब्लॉक -ए, प्रवर्तन भवन, डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली-110011 को अग्रेषित किए जाएं। यह विज्ञापन राजस्व विभाग की वेबसाइट <http://dor.gov.in> और प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट <https://www.enforcementdirectorates.gov.in/others/vacancies> पर भी उपलब्ध है।

9. आवेदनों को अग्रेषित करते समय, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी यह सत्यापित और सुनिश्चित करेंगे कि आवेदकों द्वारा दिए गए विवरण सही हैं और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है। आवेदनों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रेषित करें:

- संपर्क दूरभाष/मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता सहित जीवन वृत्त

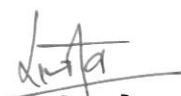


- ii. पिछले पांच वर्षों के लिए उपलब्ध पूर्ण और नवीनतम गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) डोजियर और उनकी सत्यापित प्रति
- iii. सतर्कता प्रमाणपत्र/निकासी
- iv. सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र /निकासी
- v. संवर्ग स्वीकृति
- vi. पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति, यदि कोई हो, का विवरण।

10. आवेदकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि उनके आवेदन एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के **45 दिनों के भीतर निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन भवन, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली 110011 तक** पहुंच जाएं। हालांकि, चयन के लिए उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो कैडर कंट्रोलिंग अथारिटी से प्राप्त हुए हों और जिनमें ऊपर पैरा 9 में बताई गई सभी दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी की गई हों; साथ ही, ये आवेदन विभाग द्वारा तय की गई कट-आफ तारीख या उससे पहले प्राप्त होने चाहिए। अपूर्ण आवेदन या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को बाद में किसी भी आधार पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. प्रवर्तन निदेशालय की स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी स्थान के लिए नियुक्त अधिकारी का स्थानांतरण किया जा सकता है।

12. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की एक जांच सूची(संलग्न प्रपत्र में भी) प्रेषित करें।


(राजीव लोचन)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को अनुरोध है कि यह परिपत्र उनके मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी परिचालित करें।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एआईएस शाखा), कर्तव्य भवन - 03, नई दिल्ली।
3. गृह मंत्रालय (पुलिस - I शाखा), कर्तव्य भवन - 03, नई दिल्ली।
4. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के डीजीपी।
5. सभी आयकर मुख्य आयुक्त/ महानिदेशक।
6. सभी सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त/ महानिदेशक।
7. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीबीडीटी/संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीबीआईसी को, इस अनुरोध के साथ कि रिक्ति परिपत्र को सीबीडीटी/सीबीआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर होस्ट करवाने की व्यवस्था करें।

8. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन भवन, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली – 110011 को इस अनुरोध के साथ कि एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित करवाएं तथा ईडी की वेबसाइट में उपलब्ध करवाएं।

9. निदेशक सीबीआई, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को व्यापक प्रसार के लिए।

10. एनआईसी को राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

भाग-क
जीवन वृत्त प्रपत्र

1. नाम और पता :
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. जन्म तिथि :
(ईस्वी सन् में)
3. केंद्र सरकार के नियमों के तहत :
सेवानिवृत्ति की तिथि
4. उम्मीदवार किस सेवा और बैच से संबंधित है :
5. वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड पे :
6. वह तिथि जिससे वर्तमान वेतन बैंड :
और ग्रेड वेतन धारण किया गया है

7. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी होती हैं? (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित योग्यता के समकक्ष माना गया है, तो उसके लिए प्राधिकारी का उल्लेख करें)

आवश्यक योग्यता/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
अनिवार्य (ए) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) वे अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के पे लेवल 10 (₹56100-177500) अथवा समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूरी की हो; तथा (बी) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विधि में स्नातक अथवा समकक्ष, और (ii) अदालत में आपराधिक कानूनों या वित्तीय कानूनों से संबंधित वकालत करने वाले अधिवक्ता के रूप में तीन साल का अनुभव। अथवा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि: और (ii) अदालत में आपराधिक कानूनों या वित्तीय कानूनों से संबंधित वकालत करने वाले अधिवक्ता के रूप में एक साल का अनुभव।	

8. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा उपर्युक्त की गई प्रविष्टियों के आधार पर इस पद हेतु आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

9. रोजगार का विवरण कालक्रम के अनुसार। (यदि नीचे दी गई जगह अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर से विधिवत प्रमाणित एक अलग पृष्ठ संलग्न करें)।

(ए) आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, फेमा, फेरा या आपराधिक कानूनों के उपबंधों सहित वित्तीय कानूनों से संबंधित कार्य करने का अनुभव।

कार्यालय/संस्थान	धारित पद	दिनांक----- से	दिनांक----- तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	किए गए कार्य की प्रकृति(विस्तृत विवरण दें)

10. वर्तमान रोजगार की प्रकृति, अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अर्ध-स्थायी या स्थायी।

11. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है, तो कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें-

- (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि :
 (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की अवधि
 (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम और पता

12. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त जानकारी
 कृपया बताएं कि क्या आप (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम लिखें)
 निम्नलिखित के अंतर्गत काम कर रहे हैं।

(क) केंद्र सरकार :

(ख) राज्य सरकार :

(ग) स्वायत्त संस्था :

(घ) सरकारी उपक्रम :

(ङ) विश्वविद्यालय :

(च) अन्य :

13. कृपया बताएं कि क्या आप प्रवर्तन निदेशालय में काम कर रहे हैं और फीडर ग्रेड में हैं या फीडर से फीडर ग्रेड में हैं?

14. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो वह तारीख बताएं जिससे संशोधन हुआ और पूर्व-संशोधित वेतनमान भी बताएं:

15. प्रतिमाह आहरित किया जा रहा कुल वेतन. :

16. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे:

(इसमें अन्य बातों के साथ - साथ निम्न
 संबंध में जानकारी प्रदान की जा सकती है

(i) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताएं :

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और :

(iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में :

निर्धारित कार्य अनुभव से अधिक कार्य अनुभव

(नोट: यदि जगह अपर्याप्त है तो एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।)

17. टिप्पणी- उम्मीदवार निम्नलिखित के संबंध में जानकारी दे सकता है

(i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजनाएं

(ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा

(iii) पेशेवर निकायों/संस्थानों/समितियों से संबद्धता

(iv) कोई अन्य सूचना

(नोट: यदि जगह अपर्याप्त है तो एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।)

18. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी का नाम और पता:

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लिया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित जीवन वृत्त का भी चयन समिति द्वारा पद के लिए चयन के समय मूल्यांकन किया जाएगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर: _____

पता _____

मोबाइल/टेलीफोन न. _____

ई मेल _____

तिथि _____

एपीएआर ग्रेडिंग के लिए प्रोफार्मा

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सेवा तथा बैच	एपीएआर की अवधि	रिपोर्टिंग अधिकारी			समीक्षा अधिकारी			सत्यनिष्ठा	टिप्पणी
				रिपोर्टिंग अधिकारी का ग्रेडिंग	रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणियाँ	कलम चित्र	पुनर्विलोकन अधिकारी का श्रेणीकरण/समग्र श्रेणीकरण	क्या ग्रेडिंग बदल गई है (हाँ/नहीं)? यदि हाँ, तो टिप्पणी।	कलम चित्र		

निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन किया जाना है:-

- (क) यदि पिछले पाँच वर्षों के लिए कोई ए.पी.ए.आर. नहीं है (एन.आर.सी./एन.आई.सी. के मद्देनज़र), तो पिछले पाँच उपलब्ध वर्षों के लिए ए.पी.ए.आर. उपलब्ध कराई जाए।
- (ख) आवेदन के साथ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ए.पी.ए.आर. की प्रतियाँ भी अग्रेषित की जाएं।
- (ग) ए.पी.ए.आर. अवधि कॉलम में उल्लेखित करने के लिए, दिनांक -माह-वर्ष से दिनांक- माह - वर्ष. प्रारूप में ए.पी.ए.आर. की सटीक तिथि/अवधि।
- (घ) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ए.पी.ए.आर. अवधि में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए और यदि कोई अंतराल है, तो टिप्पणी कॉलम में इसके कारण बताए जाने चाहिए।

भाग-ख

केवल संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण/विभाग के उपयोग के लिए।

1.	क्या आवेदन की अंतिम तिथि पर अधिकारी पात्रता की आवश्यकता को पूरा करता है ?	हाँ/नहीं
2.(i)	क्या अधिकारी के खिलाफ कोई सतर्कता मामला लंबित या विचाराधीन है ?	हाँ/नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें।	
3)(i)	क्या पिछले दस वर्षों के दौरान प्रस्तावित अधिकारी पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति लगाई गई है?	हाँ/नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें।	
4.	क्या आज की तारीख के अनुसार कोई दण्ड सक्रिय है?	
5.	क्या अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवर्ग मंजूरी दी गई है?	हाँ/नहीं
6.	क्या सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	हाँ/नहीं

यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी/प्रविष्टियों को अधिकारी के सेवा अभिलेखों से सत्यापित किया गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर _____

नाम:

पदनाम

(मुहर सहित)

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची

(कृपया सही का निशान लगाएं)

1.	प्रपत्र प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा विधिवत अग्रेषित आवेदन	
2.	पिछले पाँच वर्षों के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित पूर्ण और अद्यतित एसीआर/एपीएआर डोजियर। यदि पिछले पाँच वर्षों के लिए कोई ए.पी.ए.आर. नहीं है (एन.आर.सी./एन.आई.सी. के मद्देनज़र), तो पिछले पाँच उपलब्ध वर्षों के लिए ए.पी.ए.आर. उपलब्ध कराई जाए।	
3.	यदि किसी विशेष वर्ष या वर्ष के एक भाग (तीन महीने से अधिक) के लिए ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. नहीं लिखा गया है, तो पिछली वर्ष (वर्षों) के ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. के साथ संलग्न की जाने वाली अवधि के लिए एक नो रिपोर्ट प्रमाणपत्र (एन.आर.सी.) होगा।	
4.	सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्र	
5.	सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र	
6.	पिछले 10 वर्षों के दौरान बड़ी/छोटी शास्ति का विवरण	
7.	संवर्ग नियंत्रक/नियुक्ति प्राधिकारी से संवर्ग मंजूरी	

दिनांक :

अग्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)